(सत्यप्रतिलिपि)

न्या. अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) धमतरी, छ0ग0

(आदेश दिनांक 31/10/2020)

जमानत याचिका कमांक 247/20

आबकारी वृत्त धमतरी पूर्व

अपराध कमांक 85/20

धारा 34–2 आबकारी एक्ट

पद्मनी नेताम पति उमेश कुमार नेताम,
उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम शीतलापारा
वार्ड कमांक 11 पथर्रीडीह तहसील नगरी,
जिला धमतरी,छ0ग0.......................................**आवेदिका/अभियुक्ता**

— विरूद्ध—

छ0ग0 राज्य द्वारा,
आबकारी विभाग, आबकारी वृत्त
धमतरी पूर्व, जिला धमतरी, छ0ग0...........**अनावेदक/अभियोजन**

31-10-2020

मान्नीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश कमांक 79 विविध दो–14–01/2020 बिलासपुर दिनांक 15 जुलाई 2020 एवं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी, छ0ग0 के विविध आदेश कमांक क/दो–12–08/2020, धमतरी, दिनांक 16.07.2020 के पालन में यह जमानत याचिका संबंधित आबकारी वृत्त धमतरी पूर्व की केसडायरी सहित सुनवाई हेतु मेरे समक्ष पेश।

आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा श्री दिनेश दुबे अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य शासन की ओर से श्री गजानंद मीनपाल, अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा पेश जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता पर उभयपक्ष का तर्क वी.सी. के माध्यम सुना गया। डायरी का अवलोकन किया गया।

आवेदिका/अभियुक्ता ने प्रथम नियमित जमानत आवेदन होना, इसके अतिरिक्त मान्नीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में कोई जमानत आवेदन लंबित या निराकृत नहीं होना बताया है। समर्थन में आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से उसके ससुर लालूराम नेताम ने शपथ पत्र पेश कर घोषणा किया है।

आवेदिका/अभियुक्ता ने उक्त आवेदन पेश कर निवेदन किया है कि उक्त अपराध में उसे शक के आधार पर दिनांक 28.10.2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया किया गया तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। अपराध आजीवन कारावास व मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है। आवेदिका/अभियुक्ता के जेल में निरूद्ध रहने से उसके परिवार के समक्ष भरणपोषण की आर्थिक संकट उत्पन्न हो गयी है। उसका पूर्व कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। वह धमतरी जिला का स्थायी निवासी है। वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। तदानुसार जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

अनावेदक शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुये जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

डायरी के अनुसार आवेदिका/अभियुक्ता से घटना दिनांक 28.10.2020 को उसके आधिपत्य के रिहायसी मकान से लगभग 09.100 लीटर महुआ शराब उसके आधिपत्य से विक्रयार्थ बरामद किया गया है। डायरी में यह उल्लेख किया गया कि उक्त मदिरा रखे जाने के संबंध में आवेदिका/अभियुक्ता के पास कोई भी दस्तावेज नहीं था। आज भी आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। यद्यपि आवेदिका/अभियुक्ता के कब्जे से 5 बल्क लीटर से अधिक कुल 09.100 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब जब्त किया गया है, जो अजमातनीय है तथापि अपराध मृत्य दंड व आजन्म कारावास से दंडनीय नहीं है। प्रकरण के अन्वेषण एवं निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं वर्तमान कोविड 19 की परिस्थिति को देखते हुये आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रकट हो रहा है। अतएव आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दंप्रसं स्वीकार योग्य होने से **स्वीकार** किया जाता है। आदेशित किया जाता है कि आवेदिका/अभियुक्ता के द्वारा विचारण न्यायालय के संतुष्टि योग्य 15,000—15,000रूपये का दो सक्षम जमानत एवं 30,000रूपये की राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहने, अन्वेषण में सहयोग करने, अपराध की पुन्रावृत्ति न करने, साक्षियों को प्रभावित व प्रलोभित न करने एवं सदाचार बनाये रखने की शर्त पर प्रस्तुत करे तो उसे रिहा किया जावे।

आदेश की प्रतिलिपि संबंधितों को भेजी जावे। संबंधित

न्यायालय को ई मेल के माध्यम से भी भेजी जावे।

जमानत प्रकरण का रिजल्ट नोट कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा हो।

सही/-

(छमेश्वर लाल पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी.)
वास्ते सत्र न्यायाधीश
धमतरी, छ0ग0

प्रतिलिपि/-01. संबंधित न्यायालय को ई मेल के माध्यम से सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित। **02.** संबंधित आबकारी वृत्त को संबंधित केसडायरी सहित सूचनार्थ प्रेषित। **03.** अपर लोक अभियोजक को प्रेषित।

सही/-

(छमेश्वर लाल पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी.)
वास्ते सत्र न्यायाधीश
धमतरी, छ0ग0